

384
270



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]
No. 28]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/MAGHA 2, 1937

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सङ्क सुरक्षा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सं. आरटी-25035/101/2014-आरएस.—जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 235/2012 में सेव लाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के तहत अन्य वातों के साथ-साथ केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के वचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने सङ्क पर किसी धायल व्यक्ति अथवा किसी पीडित व्यक्ति की सहायता करने वाले गुड सेमेरिटन जो एक वाईस्टैंडर अथवा राहगीर हो सकता है, के वचाव के लिए, भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड-I में दिनांक 12 मई, 2015 को दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे;

और जबकि, दिनांक 12 मई, 2015 को प्रकाशित दिशा-निर्देशों के पैरा मंख्या-1 (7) और (8) के तहत पुलिस द्वारा अथवा ट्रायल के दौरान गुड सेमेरिटनों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार किया जाना है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार, पुलिस द्वारा अथवा ट्रायल के दौरान गुड सेमेरिटनों की जांच पड़ताल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करना आवश्यक गमन्यता है तथा एतद्वारा निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करती है, अर्थात्:-

1.

- (1) गुड सेमेरिटन के साथ सम्मानपूर्वक और लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए विना व्यवहार किया जाएगा।
- (2) किसी प्रत्यक्षदर्शी के अलावा, कोई व्यक्ति जो किसी दुर्घटना में धायल व्यक्ति अथवा मृतक के बारे में मूरचना देने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष अथवा पुलिस थाने में फोन कॉल करता है, को पूरा नाम, पता, फोन नंबर आदि जैसा व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

- (3) कोई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने पर गुड सेमेरिटन को रिकार्ड फार्म या लॉग रजिस्टर में, अपना नाम, पहचान, पता और इस प्रकार का अन्य व्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा ।
- (4) कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति की मदद करने वाले किसी गुड सेमेरिटन को, उस मामले में गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं करेगा । मामले में गवाह बनने का विकल्प केवल गुड सेमेरिटन पर निर्भर करेगा ।
- (5) मड़क पर घायल किसी व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचना देने के पश्चात् संवंधित पुलिस अधिकारी(यों) द्वारा गुड सेमेरिटन को जाने की अनुमति दी जाएगी और यदि गुड सेमेरिटन उस मामले में गवाह बनने का इच्छुक नहीं होता है तो उससे आगे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी ।

2. पुलिस द्वारा गुड सेमेरिटन की जांच पड़ताल

- (1) यदि कोई गुड सेमेरिटन गवाह बनना चाहता है तो उसकी जांच पड़ताल अत्यधिक संवेदनशीलता एवं सम्मान के साथ और निंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर विना किसी भेदभाव के, की जाएगी ।
- (2) यदि कोई गुड सेमेरिटन गवाह बनना चाहता है और पुलिस थाने जाना नहीं चाहता तो जांच अधिकारी द्वारा सादे कपड़ों में उससे पूछताछ यथासंभव उसकी सुविधानुसार किसी समय और स्थान, जैसे उसके आवास या कार्य के स्थान पर की जाएगी ।
- (3) जब गुड सेमेरिटन से पूछताछ उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव नहीं होता है और गुड सेमेरिटन को जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए पुलिस थाने में जाना अपेक्षित होता है तो उस अधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने के कारणों को लिखित में रिकार्ड किया जाएगा ।
- (4) यदि कोई गुड सेमेरिटन पुलिस थाने में जाने का चयन करता है तो उससे विना किसी अनुचित विलंब के एक तर्कसंगत और समयबद्ध रूप से एक ही बार में पूछताछ की जाएगी ।
- (5) यदि गुड सेमेरिटन, जांच अधिकारी की भाषा या संवंधित क्षेत्राधिकार की स्थानीय भाषा से भिन्न भाषा में वातचीत करता है तो जांच अधिकारी द्वारा एक इंटरप्रेटर की व्यवस्था की जाएगी ।
- (6) जब कोई गुड सेमेरिटन अपने आप को एक प्रत्यक्षरक्षी घोषित करता है तो उसे, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 284 जिसका संदर्भ शपथ-पत्र पर औपचारिक रूप से साक्ष्य से है, के अनुसार अपना साक्ष्य शपथ-पत्र पर दिए जाने की अनुमति दी जाएगी ।
- (7) जांच पड़ताल करते समय ऐसे गुड सेमेरिटन का पूरा वयान या शपथ-पत्र पुलिस अधिकारी द्वारा एक ही बार पूछताछ के दौरान रिकार्ड किया जाएगा ।
- (8) मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत यदि गुड सेमेरिटन अनुचित विलंब, व्यय या असुविधा के विना उपस्थित नहीं हो सकता अथवा उसकी जांच पड़ताल उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव नहीं होता है तो संवंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 284 के अनुसरण में, उस गुड सेमेरिटन की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है ।
3. पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त या किसी जिने के तत्थानी वरिष्ठता शीर्ष के पुलिम वल के कोई अन्य पुलिस अधिकारी, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उक्त उल्लिखित सभी प्रक्रियाएं उनके संवंधित क्षेत्राधिकार भर में तत्काल रूप में लागू की जाएं ।

अभय दामने, संयुक्त मन्त्री

287 (2)
288

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROAD SAFETY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2016

No. RT-25035/101/2014-RS.—Whereas, the Hon'ble Supreme Court in the case of Save Life Foundation and another Vs Union of India and another in Writ Petition (Civil) No. 235/2012 vide its order dated 29th October 2014, inter-alia, directed to issue necessary directions with regard to the protection of Good Samaritans until appropriate legislation is made by the Union Legislature;

And whereas, the Central Government published the guidelines in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I dated 12th May 2015 for protection of the Good Samaritans, i.e. a person who is a bystander or a passer-by, who chooses to assist an injured person or a person in distress on the road;

And whereas, as per para 1 (7) and (8) of the said guidelines dated 12th May, 2015, Standard Operating Procedures are to be framed for the examination of Good Samaritans by the Police or during trial;

And whereas, the Central Government considers it necessary to issue Standard Operating Procedure for the examination of Good Samaritans by the Police or during trial and here by issue the following standard operating procedure, namely:—

1.

1. The Good Samaritan shall be treated respectfully and without any discrimination on the grounds of gender, religion, nationality, caste or any other grounds.
2. Any person who makes a phone call to the Police control room or Police station to give information about any accidental injury or death, except an eyewitness may not reveal personal details such as full name, address, phone number etc.
3. Any Police official, on arrival at the scene, shall not compel the Good Samaritan to disclose his / her name, identity, address and other such details in the Record Form or Log Register.
4. Any Police official or any other person shall not force any Good Samaritan who helps an injured person to become a witness in the matter. The option of becoming a witness in the matter shall solely rest with the Good Samaritan.
5. The concerned Police official(s) shall allow the Good Samaritan to leave after having informed the Police about an injured person on the road, and no further questions shall be asked if the Good Samaritan does not desire to be a witness in the matter.

2. **Examination of Good Samaritan by the Police**

1. In case a Good Samaritan so chooses to be a witness, he shall be examined with utmost care and respect and without any discrimination on the grounds of gender, religion, nationality, caste or any other grounds.
2. In case a Good Samaritan chooses to be a witness, his examination by the investigating officer shall, as far as possible, be conducted at a time and place of his convenience such as his place of residence or business, and the investigation officer shall be dressed in plain clothes, unless the Good Samaritan chooses to visit the police station.
3. Where the examination of the Good Samaritan is not possible to be conducted at a time and place of his convenience and the Good Samaritan is required by the Investigation Officer to visit the police station, the reasons for the same shall be recorded by such officer in writing.
4. In case a Good Samaritan so chooses to visit the Police Station, he shall be examined in a single examination in a reasonable and time-bound manner, without causing any undue delay.
5. In case the Good Samaritan speaks a language other than the language of the Investigating Officer or the local language of the respective jurisdiction, the Investigating Officer shall arrange for an interpreter.

6. Where a Good Samaritan declares himself to be an eye-witness, he shall be allowed to give his evidence on affidavit, in accordance with section 296 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) which refers to *Evidence in Formal Character on Affidavit*.
 7. The complete statement or affidavit of such Good Samaritan shall be recorded by the Police official while conducting the investigation in a single examination.
 8. In case the attendance of the Good Samaritan cannot be procured without delay, expense or inconvenience which, under the circumstances of the case, would be unreasonable, or his examination is unable to take place at a time and place of his convenience, the Court of Magistrate may appoint a commission for the examination of the Good Samaritan in accordance with section 284 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) on an application by the concerned.
3. The Superintendent of Police or Deputy Commissioner of Police or any other Police official of corresponding seniority heading the Police force of a District, as the case may be, shall be responsible to ensure that all the above mentioned procedures are implemented throughout their respective jurisdictions with immediate effect.

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

285
270
270

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]
No. 126]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2015

सं. 25035/101/2014-आरएस.—जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 235 में सेवलाईक फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के तहत अन्य वातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार, सङ्क पुर्षटना पीडितों की जान बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के संबंध में गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाव के लिए इसे आवश्यक समझती है तथा, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है, अर्थात्:-

1. (1) किमी सङ्क पुर्षटना के प्रत्यक्षदर्शी महित कोई भी वाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किमी धायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, तथा उस वाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उस वाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के, जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।

(2) सङ्क पुर्षटना पीडितों की मदद के लिए आगे आने हेतु अन्य नागरिकों को प्रोत्तमाहित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरणों द्वारा वाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उचित ईनाम या मुआवजा दिया जाएगा।

(3) वाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किमी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) कोई वाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो सङ्क पर धायल पड़े व्यक्ति के लिए पुलिस को भूचना देने अथवा आपातकालीन सेवाओं हेतु फोन कॉल करता है, उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए वाध्य नहीं किया जाएगा।

(5) गुड सेमेरिटन का नाम और संपर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत सूचना को बताया जाना स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक बनाया जाएगा। ऐसा अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए मैडिको लीगल केस (एमएलसी) फार्म में भी किया जाएगा।

(6) उन लोक अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित सरकार द्वारा अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई की जाएगी जो किसी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य करेंगे अथवा धमकाएंगे।

(7) यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया है कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है तथा पुलिस द्वारा अथवा मुकदमे के दौरान जांच-पड़ताल के प्रयोजनों के लिए उसका जांच किया जाना अपेक्षित है तो उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से एक ही बार पूछताछ की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उत्पीड़ित अथवा धमकाया ना जाए।

(8) जांच की विधियां, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत किसी आयोग द्वारा, अथवा कथित संहिता की धारा 296 के अनुसार औपचारिक तौर से शपथ-पत्र के द्वारा हो सकती है तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएंगी।

(9) गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाने अथवा असुविधा से दूर रखने के लिए, बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन एवं उपर्युक्त (1) दिशा-निर्देश में संदर्भित व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, से पूछताछ के दौरान विडियो कॉर्फेसिंग का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाएगा।

(10) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिशा-निर्देश जारी करेगी जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि कोई भी पंजीकृत सार्वजनिक और निजी अस्पताल बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को न रोके अथवा पंजीकरण और भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग न करें, जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा-संबंधी न हो तथा पं. परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [1989] 4 एससीसी 286 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जाए।

(11) सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित किसी आपातकालीन परिस्थिति में, जिस समय डाक्टर से चिकित्सीय देखभाल प्रदान किये जाने की आशा की जाती है, किसी डाक्टर द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव को भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक) विनियम, 2002 के अध्याय-7 “व्यवसायिक कदाचार” के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा तथा उस डा. के विरुद्ध कथित विनियमन के अध्याय-8 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(12) सभी अस्पताल इस आशय का अपने प्रवेश द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की देशी भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेंगे कि वे बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को नहीं रोकेंगे अथवा किसी पीड़ित के उपचार के लिए उनसे धन जमा कराने के लिए नहीं कहेंगे।

(13) यदि कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन चाहे तो अस्पताल उसे घायल व्यक्ति को अस्तपाल में लाने तथा समय और स्थान के संबंध में, उस गुड सेमेरिटन को एक पावती उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी पावती को राज्य सरकार द्वारा एक मानक फार्मेट में तैयार किया जाएगा तथा उपर्युक्त समझे जाने पर बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में इसे वितरित किया जाएगा।

(14) सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन तत्काल रूप से किया जाएगा तथा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किए जाने अथवा उल्लंघन किए जाने के मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

(15) इन दिशा-निर्देशों से युक्त एक पत्र केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत सभी अस्पतालों और संस्थानों में जारी किया जाएगा जिसमें इस अधिसूचना की राजपत्रित प्रति भी संलग्न होगी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन दिशा निर्देशों के बारे में आम जनता को सूचित किए जाने हेतु सभी राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे।

2. बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन के बचाव के मंबंध में उपर्युक्त दिशा-निर्देश, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 134 के तहत यथाविनिर्दिष्ट सड़क दुर्घटना में किसी मोटर वाहन के चालक के दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह की धारणा रहित है।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2015

No. 25035/101/2014-RS.—Whereas the Hon'ble Supreme Court in the case of Savelife Foundation and another V/s. Union Of India and another in Writ Petition (Civil) No. 235 of 2012 *vide* its order dated 29th October, 2014, interalia, directed the Central Government to issue necessary directions with regard to the protection of Good Samaritans until appropriate legislation is made by the Union Legislature;

And whereas, the Central Government considers it necessary to protect the Good Samaritans from harassment on the actions being taken by them to save the life of the road accident victims and, therefore, the Central Government hereby issues the following guidelines to be followed by hospitals, police and all other authorities for the protection of Good Samaritans, namely:-

1. (1) A bystander or good Samaritan including an eyewitness of a road accident may take an injured person to the nearest hospital, and the bystander or good Samaritan should be allowed to leave immediately except after furnishing address by the eyewitness only and no question shall be asked to such bystander or good Samaritan.
- (2) The bystander or good Samaritan shall be suitably rewarded or compensated to encourage other citizens to come forward to help the road accident victims by the authorities in the manner as may be specified by the State Governments.
- (3) The bystander or good Samaritan shall not be liable for any civil and criminal liability.
- (4) A bystander or good Samaritan, who makes a phone call to inform the police or emergency services for the person lying injured on the road, shall not be compelled to reveal his name and personal details on the phone or in person.
- (5) The disclosure of personal information, such as name and contact details of the good Samaritan shall be made voluntary and optional including in the Medico Legal Case (MLC) Form provided by hospitals.
- (6) The disciplinary or departmental action shall be initiated by the Government concerned against public officials who coerce or intimidate a bystander or good Samaritan for revealing his name or personal details.
- (7) In case a bystander or good Samaritan, who has voluntarily stated that he is also an eye-witness to the accident and is required to be examined for the purposes of investigation by the police or during the trial, such bystander or good Samaritan shall be examined on a single occasion and the State Government shall develop standard operating procedures to ensure that bystander or good Samaritan is not harassed or intimidated.
- (8) The methods of examination may either be by way of a commission under section 284, of the Code of Criminal Procedure 1973 or formally on affidavit as per section 296, of the said Code and Standard Operating Procedures shall be developed within a period of thirty days from the date when this notification is issued.
- (9) Video conferencing may be used extensively during examination of bystander or good Samaritan including the persons referred to in guideline (1) above, who are eye witnesses in order to prevent harassment and inconvenience to good Samaritans.
- (10) The Ministry of Health and Family Welfare shall issue guidelines stating that all registered public and private hospitals are not to detain bystander or good Samaritan or demand payment for registration and admission costs, unless the good Samaritan is a family member or relative of the injured and the injured is to be treated immediately in pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court in Pt. Parmanand Katara vs Union of India & Ors [1989] 4 SCC 286.
- (11) Lack of response by a doctor in an emergency situation pertaining to road accidents, where he is expected to provide care, shall constitute "Professional Misconduct", under Chapter 7 of the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulation, 2002 and disciplinary action shall be taken against such doctor under Chapter 8 of the said Regulations.
- (12) All hospitals shall publish a charter in Hindi, English and the vernacular language of the State or Union

382
4

territory at their entrance to the effect that they shall not detain bystander or good Samaritan or ask depositing money from them for the treatment of a victim.

(13) In case a bystander or good Samaritan so desires, the hospital shall provide an acknowledgement to such good Samaritan, confirming that an injured person was brought to the hospital and the time and place of such occurrence and the acknowledgement may be prepared in a standard format by the State Government and disseminated to all hospitals in the State for incentivising the bystander or good Samaritan as deemed fit by the State Government.

(14) All public and private hospitals shall implement these guidelines immediately and in case of noncompliance or violation of these guidelines appropriate action shall be taken by the concerned authorities.

(15) A letter containing these guidelines shall be issued by the Central Government and the State Government to all Hospitals and Institutes under their respective jurisdiction, enclosing a Gazette copy of this notification and ensure compliance and the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Road Transport and Highways shall publish advertisements in all national and one regional newspaper including electronic media informing the general public of these guidelines.

2. The above guidelines in relation to protection of bystander or good Samaritan are without prejudice to the liability of the driver of a motor vehicle in the road accident, as specified under section 134 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.